the Central Assistance for construction of hostel for ST boys and girls were released as follows:—

(Rs. in lakhs)

Scheme	1992-93	1993-93	1994-95
Girls Hostels	18.21 (4 Hostels)	19.51 (3 Hostels)	4.73 (4 Hostels)
Boys Hostels	23.00 (7 Hostels)	39.23 (12 Hostels)	6.44 (3 Hostels)

Proposals for 1995-96 & 1996-97 received from the Gujarat Government could not be considered for want of detailed utilisation certificate and progress of construction of the hostels sanctioned earlier.

(e) There are provisions for creating hostel facilities for ST boys and girls under the scheme of NGO.

Representation by Bhartiya Tharoo Kalyan Mahasangh, Champaran (Bihar)

2393. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received a representation from the Bhartiya Tharoo Kalyan Mahasangh, Champaran (Bihar) for inclusion of Tharoo tribe in the list of Scheduled Castes as in the case of Tribe in Uttar Pradesh;

(b) if so, whether Government propose to include the tribe in the list of Scheduled Castes;

(c) if so, the steps taken by the Government in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) No. Sir.

(c) to (d) Do not arise.

त्रिपुरा में विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

2394. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा को मंत्रालय द्वारा किन-किन योजनाओं के लिये सहायता दी जाती है और इस सहायता के लिये क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन-किन योजनाओं के लिये प्रदान की गई थी;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा सीधे ही इस सहायता का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त सहायता से त्रिपुरा के किन-किन जिलों में कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानकों तथा मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं की संख्या तथा प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे विवरण I पर हैं (नीचे देखिए)।

(ग) तथा (घ) जी हां, । राज्य सरकार सीधे सहायता का उपयोग करती है। ऐसी योजनाओं की एक सूची विवरण II पर है (नीचे देखिए)।

(ङ) योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है और जिलावार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

विवरण-I

क्रम सं॰	योजना का नाम	निर्मुक्त राशि		
		1993-94	1994-95	1995-96
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	57.78	25.61	93.04
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	12.70	12.61	14.53
3.	अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	1.03	0.87	0.25
4.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	1.68	3.59	24.00
5.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	5.00	0.47	6.00
6.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	6.39	—	—
7.	अनुसूचित जाति विकास निगम	9.60	—	—
8.	अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	—	0.84	0.09
9.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	58.85	100.97	72.26
10.	वि॰सं॰यो॰ को विशेष केन्द्रीय सहायता	327.37	480.01	564.97
11.	अनुच्छेद (275)(1)	80.25	93.75	93.75
12.	लड़कियों के होस्टल	7.31	19.44	19.44
13.	लड़कों के लिए होस्टल	18.38	29.17	38.38
14.	आश्रम स्कूल	10.00	19.44	38.38
15.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	6.80	10.41	8.27
16.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	—	—	59.12
17.	राज्य आदिवासी सहकारी निगम (एसटीसीसी)	35.00	—	63.00
18.	गैर सरकारी संगठन	—	4.22	1.46
19.	मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग तथा निवारण	1.26	5.96	1.89
20.	वयोवृद्धों का कल्याण	7.26	16.69	11.39
21.	शिशु गृह	—	0.53	2.40
22.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	3.11	7.55	2.78

विवरण-II

क्र०सं०	योजना का नाम जिसके तहत राज्य सरकार सीधे सहायता का उपयोग करती है
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां।
3.	अनु०जा०/अ०ज०जा० के पुस्तक बैंक
4.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल
5.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल
6.	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना
7.	अनुसूचित जाति विकास निगम
8.	अनु०जा०/अनु०ज०जा० छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन
9.	विशेष योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
10.	विशेष केन्द्रीय सहायता
11.	अनुच्छेद 275(1)
12.	लड़कियों के होस्टल
13.	लड़कों के होस्टल
14.	आश्रम स्कूल
15.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण
16.	व्यावसायिक प्रशिक्षण
17.	राज्य आदिवासी सहकारी निगम (एसटीसीसी)

Amount Allocated to Maulana Azad Education Foundation

2395. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the amount allocated to Maulana Azad Education Foundation during the year 1995-96 and 1996-97;

(b) the amount spent by this Foundation during 1995-96; and

(c) the item-wise details of the amount spent?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Although a token provision of Rs. 1 lakh each was made in the Budget grant of the Ministry for release of grant-in-aid to Maulana Azad Education Foundation (MAEF), no amount was released to the Foundation during the years 1995-96 and 1996-97.

(b) During the year 1995-96 the Foundation has spent a sum of Rs. 1,47,74,896.00.

(c) The item-wise details of the amount spent by the Foundation are as follows:—

	(Rupees)
(i) Grant-in-aid to ten (10) institutions for establishement/expansion of residential schools.	97,70,000.00
(ii) Grant-in-aid released to one technical institution.	5,00,000.00